

राजस्थान सरकार  
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक- प0 6 (5) राज-6/96पार्ट/9  
1.समस्त संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।  
2.समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान।

जयपुर,दिनांक:- 13.3.2006

::परिपत्र::

विषय:-निष्क्रान्त (एवेक्यू)सम्पतियों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में।  
महोदय,

राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि के स्थायी आवंटन)नियम, 1963 के अन्तर्गत कृषि भूमियों बाबत जारी समसंख्यक अधिसूचना दि0 28.11.2004 द्वारा जारी संशोधन के नियम 1(ए) में बाजार मूल्य पर सम्पतियों के निस्तारण के प्रावधान किये गये है। इस अधिसूचना में बाजार मूल्य से तात्पर्य जिला स्तर पर गठित कमेटी, जिसका गठन राज0 स्टाम्प रूल्स, 2004 के नियम 2(1)(बी) के अन्तर्गत किया जाता है, के द्वारा निर्धारित दरों से है। अतःनिर्देशानुसार लेख है कि डी.एल.सी रेट को बाजार दर का आधार मानकर सम्पतियों के शीघ्र निस्तारण बाबत शीघ्र कार्यवाही नियमानुसार करावे।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-  
1.निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय।  
2.निजी सचिव,मा0 राजस्व मंत्री महोदय।  
3.निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,राजस्व।  
4.निबंधक,राजस्व मंडल,अजमेर।  
5.समस्त उप शासन सचिव,राजस्व विभाग।  
6.रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,राजस्व  
(को जी0 अग्रवाल)  
13.3.2006

शासन उप सचिव,राजस्व  
13.3.2006